

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(युप-२) विभाग**

क्रमांक :-प. 2(1)साप्र/2/23

—: आदेश :—

जयपुर दिनांक : 09 JAN 2023

डॉ हसराज पहाड़िया, सहायक आचार्य, मोडेसन विभाग, सर्वाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को इनकी वरियता संख्या 24/2019 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2022 है, को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्राक्षणान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर स्वयं के निवास हेतु द्वितीय श्रेणी राजकीय आवास संख्या एन-9, गांधीनगर जयपुर का नियमानुसार किराया दर पर निम्न शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है—

**शर्तः—**

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतं निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पर्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाधीक्षा/आहरण वितरण अधिकारी—द्वारा किराये की अवधि में आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अद्यता आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञीय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरस्त जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आन्त्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में कोई निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सर्व-समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रौली किशनानी)  
विशेष शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- सचिव (जीजी), माठू मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।
- प्रग्नानार्थी एवं नियक्रक, सर्वाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के बैठन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित कराये।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित कराये।
- कोषाधिकारी, को कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (युप-३) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश का सामान्य प्रशासन विभाग की ओर साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (युप-५) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिकारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवष्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवष्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- अधिकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/ जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चाप्या करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजायें।
- डॉ हसराज पहाड़िया, सहायक आचार्य, मेडिसन विभाग, सर्वाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवष्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिकारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्बलाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रायली।

**Signature valid**

Digitally signed by Shaili Kishnani  
Designation: Special Secretary To  
Government  
Date: 2023.01.06 17:42:16 IST  
Reason: Approved